(वाद संख्या–**4453/16**)

11.09.2019

परिवादी राजेश रमण उपस्थित हैं।

आयोग के दिनांक–10.05.2019 का अनुपालन अंचलाधिकारी, कहरा, जिला–सहरसा द्वारा नहीं किया गया है। उक्त आदेश द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा के माध्यम से अंचलाधिकारी, कहरा से ग्राम पंचायत–वरियाही के वार्ड नं0–14 के अन्तर्गत कहरा ग्राम के दक्षिण टोला के निवासियों के प्रखण्ड कार्यालय–कहरा जाने वाले मुख्य सड़क से सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में समाहर्त्ता, सहरसा के माध्यम से अंचलाधिकारी, कहरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अप्राप्त है।

समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी–सहरसा के माध्यम से अंचलाधिकारी, कहरा को दिनांक–09.01.2020 को प्रतिवेदन के साथ आयोग के समक्ष सदेह उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय तथा इस पत्र की एक प्रति प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाय। अंचलाधिकारी, कहरा को भेजे जाने वाले नोटिस के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–2–1/प0), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र (पृ0–10/प0 एवं 26/प0) व इस आयोग के पत्र (पृ0–39/प0) की प्रति के साथ दिनांक–17.12.2018, दिनांक–10.05.2019 तथा आज पारित आदेश की प्रति भी संलग्न कर भेजी जाय।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

परिवादी उक्त तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

संचिका सुनवाई हेतु दिनांक–09.01.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक